न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 784–पीबीआर/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–3–2004 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला गुना प्रकरण कमांक 5/निगरानी/2003–04.

श्रीमती हल्कीबाई पत्नी जैमा बन्जारा
निवासी ग्राम पतलेश्वर
तहसील आरोन जिला गुना .....आवेदिका

विरूद्ध

बाबूलाल पुत्र गोरेलाल
निवासी ग्राम पतलेश्वर
तहसील आरोन जिला गुना .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री विनोद कुमार, अभिषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/1/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–3–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार आरोन के समक्ष ग्राम पतलेश्वर स्थित भूमि सर्वे कमांक 263 रकबा 0.191 हेक्टेयर के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–11–94 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदिका के पक्ष में किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा कलेक्टर, गुना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 29–3–2004 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया, और प्रश्नाधीन भूमि को पूर्ववत चरनोई घोषित किया गया, साथ ही

तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए कब्जा प्राप्त करने के निर्देश भी दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 10–12–2015 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदिका के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर किया जा रहा है । आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1984 के पूर्व से काबिज होकर कृषि कार्य कर रही है, और आज भी उसी का आधिपत्य है । उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर शारीरिक परिश्रम कर कृषि योग्य बनाया गया है । कलेक्टर द्वारा 9 वर्ष के विलम्ब का क्षमा कर अवधि बाह्य अपील स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) अधिनियम की धारा 7 में संशोधन करते हुए उस व्यक्ति को भूमिहीन माना गया है, जिसके परिवार में दो हेक्टेयर से कम भूमि हो । आवेदिका के पति के पास 1.996 हेक्टेयर भूमि है, और आवेदिका के परिवार में 10 सदस्य हैं, अतः प्रत्येक सदस्य को 0.199 हेक्टेयर भूमि प्राप्त होती है, अतः आवेदिका भूमिहीन कृषक थी, इस बिन्दु पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में कलेक्टर द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के पास थी, और वह उसका भूमिस्वामी है, परन्तु आवेदिका द्वारा तथ्यों को छिपाकर अपने पक्ष में व्यवस्थापन करा लिया गया है, अतः कलेक्टर द्वारा व्यवस्थापन आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि म0प्र0 दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापन करने में तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रकिया का पालन नहीं किया

गया है । तहसीलदार द्वारा उद्घोषणा का विधिवत प्रकाशन नहीं किया गया है, क्योंकि उद्घोषणा की एक प्रति चौपाल पर चस्पा की जानी चाहिए, जो कि नहीं की गई है, और न ही ग्राम पंचायत को उद्घोषणा की प्रति प्रस्तुत की गई है । इसके अतिरिक्त आवेदिका लक्ष्मीबाई के परिवार के सदस्य के नाम 1.996 हेक्टेयर भूमि पूर्व से थी । इस प्रकार वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आती है, और उसे प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन की पात्रता नहीं थी, इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा आवेदिका के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत शासकीय चरनोई घोषित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–3–2004 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर